



26863 - रोज़े की नीयत कब की जायेगी और यदि रमज़ान के दाखिल होने का पता दिन में चले तो क्या हुक्म है ?

प्रश्न

क्या रमज़ान के रोज़े की नीयत रात में करना ज़रूरी है, या दिन के समय, जैसे कि अगर आप से चाशत के समय कहा जाये कि आज का दिन रमज़ान का है, तो क्या आप उसकी क़ज़ा करेंगे या नहीं ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

रमज़ान के महीने के रोज़े की नीयत रात ही में फज़्र से पहले करना ज़रूरी है। और बिना नीयत किये हुए दिन के समय से उसका रोज़ा रखना किफ़ायत नहीं करेगा (पर्याप्त नहीं होगा)। जिस आदमी को चाशत के समय यह पता चले कि यह दिन रमज़ान का है और वह रोज़ा की नीयत कर ले, तो उस पर सूरज डूबने तक खाने पीने से रूक जाना अनिवार्य है, तथा उस पर (रमज़ान के बाद) उस दिन की क़ज़ा करना अनिवार्य है। इसका प्रमाण यह है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि उन्होंने ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया कि आप ने फरमाया : "जो व्यक्ति फज़्र के पहले से ही रोज़े की नीयत न करे उसका रोज़ा नहीं है।"इसे इमाम अहमद और अस्थाबुस्सुनन (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, दारमी इत्यादि), इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है और इन दोनों ने इसे मरफूअन (जिस हदीस की सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुँचती हो उसे मरफूअ कहते हैं) सहीह करार दिया है।

यह फ़र्ज़ रोज़े के अन्दर है। जहाँ तक नफ़ल रोज़े की बात है तो उसके रोज़े की नीयत दिन के समय भी करना जाइज़ है, यदि उसने फज़्र के बाद खाया, या पिया, या पत्नी संभोग नहीं किया है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में प्रमाणित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन चाशत के समय उनके पास आये और कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ (खाने के लिए) है। तो उन्होंने ने कहा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "तब मैं रोज़े से हूँ।" इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब "अस्सहीह" में रिवायत किया है।

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ देने वाला (शक्ति का स्रोत) है। तथा अल्लाह तआला हमारे पैग़ंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दया और शांति अवतरित करे।